प्रारूप -1

पत्रांक–2ब०/मु०मं०श०ना०ग०यो०–30–01/2016 (अंश–I) 3292 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।

कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 02/7/19

विषयः– मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत कच्ची नाली–गली का शत् प्रतिशत पक्कीकरण के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक– 6404, दिनांक– 25.09.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों, जिनके किसी वार्ड में एक भी कच्ची नाली–गली नहीं बची है, वैसे वार्डों में राशि खर्च करने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत किया गया था, जिसमें पूर्व में निर्मित एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त नाली–गली की योजना का सूची तैयार करते हुए प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के साथ ही आवश्यक विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए योजना का कार्यान्वयन कराने का निदेश दिया गया था।

उक्त के क्रम में कहना है कि मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत वर्ष 2020 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित प्रत्येक घर को पक्की नाली गली से आच्छादित किया जाना निर्धारित है। विदित हो कि निश्चय योजना की मिशन अवधि समाप्ति की ओर है, परन्तु आज तक राज्य का कोई भी नगर निकाय पूर्ण रूप से पक्की नाली गली से आच्छादित नहीं हो पाया है बल्कि नगर निकायों द्वारा पूर्ण रूप से पक्की नाली गली से आच्छादन हेतु अत्याधिक अनुमानित राशि की माँग की जा रही है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी नगर निकायों में सर्वप्रथम कच्ची नाली गली के पक्कीकरण की योजना ही ली जाय। नगर निकायों में शत् प्रतिशत नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत ही प्रसंगाधीन पत्र, पत्रांक– 6404, दिनांक– 25.09.2017 के आलोक में मरम्मति कार्य कराई जाय।

विश्वासभाजन,
1/7/2019

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/मु०मं०श०ना०ग०यो०–30–01/2016 (अंश–I) 3292 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना,दिनांक 02/7/19

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, सभी जिला शहरी विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/2019

सरकार के प्रधान सचिव।